प्रारूप-9

नियम 8(2) देखिये

संख्या 01365/2021-2022 दिनांक 14/09/2021

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण
संख्या:R/BAS/08140/2021-2022 पत्रावली संख्या:G-49543 दिनांक:2011-2012

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **न्यू इण्डियन पब्लिक एजूकेशनल सोसाइटी, ग्राम- गुलौरी बुजुर्ग नचना पो0 हरिवंशपुर थाना दुबौलिया तहसील हर्रैया जनपद बस्ती, बस्ती , 272002** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या-1093/2011-2012 दिनांक-29/08/2011 को दिनांक-29/08/2021 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है |

1000 रुपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है |

Digitally Signed By
(Ajay Kumar Shahi)
0097FB1C47DF3F7B5BB0589C12A76E5CD27FC364
Date: 14/09/2021 3:37:55 PM, Location: Gorakhpur.

जारी करने का दिनांक-14/09/2021

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश |

Manager
Indian Public School
Gulauri Bujurg-Basti



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

23AB 340237

यह जनरल स्टाम्प पेपर न्यू इण्डिया पब्लिक स्कूल इण्टरनेशनल सोसाइटी ग्राम-गुलरी खुर्द (रचना) पो०-हरैयापुर थाना-उनौलिया जिला बस्ती फाइल नं० जी०पी०/543 तहसील-हरैया के साथ संलग्न है।



सहायक रजिस्ट्रार
सोसाइटीज एक्ट चिट्स
उत्तर० गोरखपुर
09/9/11



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

23AB 340238

यह बनरस स्टाप पेपर नन्दु मुखिया पहलेजा सुरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
ग्राम- मुंडेरी कुरैना (दक्षिण) पो०- हरैया थाना- दुबौलिया
जिला- बस्ती फरल नं०- जी०पी 9543
निष्पादक के साथ सम्बन्ध हरैया

क्षेत्रीय कार्यालय सहायक निबंधक समितियां उत्तर प्रदेश, गोरखपुर

सहायक रजिस्ट्रार
एवं डोसाइटीज तथा चिट्ठ
गोरखपुर
09/9/11

स्मृतिपत्र

1. संस्था का नाम– न्यू इण्डियन पब्लिक एजूकेशनल सोसायटी

2. संस्था का पता– ग्राम– गुलौरी बुजुर्ग (नचना), पो0–हरिवंशपुर, थाना–दुबौलिया, तहसील– हरैया, जिला–बस्ती।

3. संस्था का कार्य क्षेत्र– सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

4. संस्था का उद्देश्य– संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य होगें:–

1–ग्राम स्तर से लेकर जिला स्तर तक क्रमशः सर्वांगीण विकास करना।

2–समाज के कल्याणार्थ स्वाध्याय मण्डल, स्वास्थ्य मण्डल, पुस्तकालय, वाचनालय की व्यवस्था करना एवं प्रखर बुद्धि के छात्रों, अध्यापकों की उन्नति में सहायता देना एवं साहित्य के विकासार्थ समाचारपत्रों, पत्रिकाओं का निःशुल्क प्रकाशन करना।

3–शिशु विद्यालयों व नर्सरी विद्यालयों से लेकर महाविद्यालय स्तर तक के शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना। तकनीकी एवं प्रबन्धन संस्थानों को स्थापित करना व उनका संचालन करना।

4–बच्चों, वयस्कों एवं अन्य लोगों के खेल, व्यायाम, योगासन के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना व शारीरिक शिक्षा संस्थान स्थापित करना व उनका संचालन करना तथा प्रतियोगिता आयोजित करना।

(1) (2) (3)

(4) अंजनी कुमार शुक्ल (5) विजय बहादुर श्रीवास्तव (6)

(7) (8) (9) विवेकानन्द

सहायक रजिस्ट्रार
सोसाइटीज एक्ट
उत्तर–गोरखपुर

5–पूर्णकालिक कार्यकर्त्ताओं के लिए पुरस्कार की व्यवस्था करना।

6–परित्यक्त निर्धन व असहाय शिशुओं की परवरिश करना, उनके तथा बालिकाओं के शिक्षा, चिकित्सा व रोजगार तथा अन्य आवश्यकताओं में सहयोग करना।

7– समान उद्देश्य रखने वाली संस्थाओं को अपने साथ सम्बद्ध करना या अपने में मिला लेना।

8–बालक, बालिकाओं के लिये क्रीड़ा, पुस्तकालय, वाचनालय, कार्यशाला, प्रयोगशाल, छात्रावास, कृषि फार्म स्थापित एवं संचालित करना।

9– राष्ट्र व समाज के सम्पूर्ण विकास के लिये तथा राष्ट्रीय चरित्र के विकास के लिये कार्य करना।

10–संस्था के उद्देश्य की पूर्ति व स्था के विकास के लिए सहायता प्राप्त करना। चल अचल सम्पत्ति क्रय करना व भवन,छात्रावास, विद्यालय का निर्माण करना।

11– संस्था के स्थायित्व के लिए आवश्यक साधन जुटाना ~~तथा सरकारी, अर्ध सरकारी, राष्ट्रीकृत बैंक आदि से ऋण लेना और उनको काम में लाना।~~

12– संस्था की कुल सम्पत्ति केवल उद्देश्य पूर्ति में लगाना व उसके विकास व रक्षा में लगाना।

5. प्रबन्धकारिणी समिति , सदस्यों के नाम/पिता/पति का नाम, पता, पद व व्यवसाय जिनको समिति के नियमों के अनुसार कार्यभार सौंपा गया है :–

सहायक रजिस्ट्रार
सोसाइटीज तथा चिट्स
कम्प० गोरखपुर

क्र0 सं0	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	विमलेन्द्र प्रसाद शुक्ल	स्व0 श्री राम सुख शुक्ल	ग्राम व पोस्ट- गोविन्द पारा, जनपद– बस्ती	अध्यक्ष	खेती
2.	सत्य नारायण मिश्र	श्री जमुना	ग्राम व पो0– एकमहिरिनिया, जनपद– बस्ती	उपाध्यक्ष	नौकरी
3.	कैलाशनाथ दूबे	स्व0 श्री राम शंकर दूबे	ग्राम– गुलौरी बुजुर्ग (नचना), पो0– हरिबंशपुर, जनपद– बस्ती	प्रबन्धक	समाजसेवी
4.	अंजनी कुमार शुक्ल	श्री जगदीश प्रसाद शुक्ल	ग्राम व पो0– गोविन्दपारा, जनपद– बस्ती	मंत्री	खेती
5.	विजय बहादुर त्रिपाठी	श्री कपिलदेव त्रिपाठी	ग्राम– पियारेपुर, पो0– गायघाट, जनपद– बस्ती	कोषाध्यक्ष	खेती
6.	श्याम सुन्दर सिंह	श्री मिट्ठू सिंह	ग्राम व पो0– महरीपुर, जनपद– बस्ती	सदस्य	खेती
7.	देवदास दूबे	श्री गौरी शंकर	ग्राम– शालुनी, पो0– झाँटी पहाड़ी, जिला– बाकुड़ा	सदस्य	समाजसेवी
8.	दीनबन्धु पाण्डेय	श्री बैजनाथ	ग्राम– हाहो, पो0– हरैया, जनपद– बस्ती	सदस्य	खेती
9.	विवेका नन्द	श्री शम्भूनाथ	ग्राम– गुलौरी बुजुर्ग (नचना), पो0– हरिबंशपुर, जनपद– बस्ती	सदस्य	खेती

6. हम निम्न हस्ताक्षर कर्त्ता संस्था का उपरोक्त स्मृतिपत्र के अनुसार सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट–1860 के अन्तर्गत पंजीकृत कराना चाहते हैं।

22/8/11

सत्य – प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
सोसाइटीज तथा चिट्स
उत्तर गोरखपुर
28/9/11

प्रतिलिपि कर्ता
मिलान कर्ता
28/9/11

नियमावली

1. संस्था का नाम–	न्यू इण्डियन पब्लिक एजूकेशनल सोसायटी
2. संस्था का पता–	ग्राम– गुलौरी बुजुर्ग (नचना), पो0–हरिवंशपुर, थाना–दुबौलिया, तहसील– हरैया, जिला–बस्ती।
3. संस्था का कार्य क्षेत्र–	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
4. संस्था के सदस्य तथा सदस्यों का वर्ग–	1–आजीवन सदस्य 2–साधारण सदस्य 3–विशिष्ट सदस्य

1–आजीवन सदस्यः–

भारत के किसी भी वयस्क नागरिक को जिसको प्रबन्धकारिणी समिति संस्था के उद्देश्यों एवं लक्ष्य पूर्ति में सहायक समझे उससे एक मुश्त 5,501/–रू0 (पाँच हजार पाँच सौ एक रूपया) सदस्यता शुल्क प्राप्त कर शिक्षा मन्दिर का आजीवन सदस्य बनायेगी।

2–साधारण सदस्य– भारत के किसी भी वयस्क नागरिक को जिसको प्रबन्धकारिणी समिति संस्थान के उद्देश्य एवं लक्ष्यपूर्ति में सहायक समझे उससे मु0–551/–(पाँच सौ इक्यावन रूपये) एकमुश्त सदस्यता शुल्क प्राप्त कर 6वर्ष के लिए संस्थान का साधारण सदस्य बनायेगी।

3–विशिष्ट सदस्य– प्रबन्धक जिस किसी व्यक्ति को उपकारिता अथवा अन्य किसी विशेष गुण के कारण संस्थान का हित साधक समझे उसे साधारण सभा का सदस्य मनोनीत

सहायक रजिस्ट्रार सोसाइटीज तथा चिट्स उ0प्र0 गोरखपुर

करेगा, ऐसे सदस्य की नियुक्ति आजीवन अथवा निर्धारित अवधि के लिए की जायेगी। इसकी संख्या चार से अधिक नहीं होगी।

4–सदस्यता की समाप्तिः– सदस्यता निम्नलिखित दशा में समाप्त समझी जायेगी।

(क) मृत्यु हो जाने पर।

(ख) पागल हो जाने पर या उसके मस्तिष्क विकृत हो जाने पर।

(ग) किसी नैतिक एवं जघन्य अपराध में दण्डित होने पर।

(घ) यदि वह दिवालिया करार दे दिया गया हो।

(ङ) सदस्यता शुल्क अथवा चन्दा न देने पर।

(च) संस्थान के उद्देश्य एवं हितो के विरूद्ध कार्य करने पर।

(छ) त्यागपत्र देने पर।

(ज) कुष्ट रोग (कोढ़) से ग्रसित हो जाने पर।

(झ) प्रबन्धकारिणी समिति का अनुमोदन न प्राप्त होने की दशा में।

5– संस्थान के अंगः– संस्थान के निम्नलिखित अंग होगें:–

1– साधारण सभा।

2– प्रबन्ध कारिणी समिति

(1) साधारण सभा का गठनः– संस्थान के सभी आजीवन सदस्य, साधारण सदस्य एवं विशिष्ट सदस्य साधारण सभा के सदस्य होगें। साधारण सदस्य एवं विशिष्ट सदस्य अपनी सदस्यता की अवधि तक साधारण सभा के सदस्य बने रहेगें।

(2) विशेषः– संस्थान के कुल सदस्य संख्या के दो तिहाई सदस्यों के लिखित मांग पर प्रबन्धक को 28 दिन के अन्दर विशेष साधारण सभा की बैठक आहूत करनी होगी। उपरोक्त

सहायक निबन्धक
सोसाइटीज एक्ट
गोरखपुर

आवेदनपत्र में बैठक बुलाने का उद्देश्य एवं आवेदनकर्त्ताओं के हस्ताक्षर होना आवश्यक होगा।

(3) सूचना अवधिः– बैठक की सूचना कम से कम सात दिन पूर्व डाक प्रेषण प्रमाणपत्र (अण्डर सर्टिफिकेट आफ पोस्टिंग) अथवा सूचना हस्ताक्षर द्वारा देना आवश्यक होगा।

(4) गणपूर्तिः– साधारण सभा के सदस्यों मेंसे दो तिहाई सदस्यों का उपस्थिति होना आवश्यक होगा किन्तु आजीवन सदस्यों मेसे 2/3 सदस्यों का उपस्थिति रहना अनिवार्य होगा। गणपूर्ति के अभाव में यदि बैठक स्थगित हो जाय तो अध्यक्ष की अनुमति से आधे घण्टे बाद उपस्थित सदस्यों द्वारा बैठक की जा सकेगी, किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा की गणपूर्ति की संख्या स्थगित बैठक के लिए बाध्य नहीं होगी।

(5) वार्षिक अधिवेशन की तिथि आदिः–

वार्षिक अधिवेशन प्रत्येक वर्ष जून मास में हुआ करेगा।

(6) साधारण सभा के कर्तव्यः–

(i) प्रत्येक पाँच वर्ष पर प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों का चुनाव करना।

(ii) साधारण सभा का कार्य विगत वर्षों की गतिविधियों पर प्रबन्धकारिणी समिति की रिपोर्ट पर समिति के उद्देश्य पूर्ति के लिए उचित परामर्श देना होगा।

(7) प्रबन्धकारिणी समितिः–

(अ) गठनः– संस्थान के प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों की संख्या पदाधिकारियों सहित 9 ~~से कम~~ ~~15~~ से ~~अधिक नहीं~~ होगी। प्रबन्धकारिणी समिति में

सहायक रजिस्ट्रार
चर्म उद्योग एवं चिटफण्ड
उन्नव गोरखपुर

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबन्धक, मंत्री व कोषाध्यक्ष सहित कुल 5 पदाधिकारी एवं 4 सदस्य होगें।

(ब) बैठकें:–

(1) प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक प्रति चार माह पर अथवा आवश्यकतानुसार समय–समय पर हुआ करेगी।

(2) प्रबन्धकारिणी समिति के प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा, प्रत्येक प्रस्ताव सर्वसम्मत अथवा बहुमत द्वारा पारित होगा (बराबर मत होने पर प्रबन्धक निर्णायक मत देगा)।

(3) यदि प्रबन्धकारिणी समिति का कोई सदस्य लगातार 3 बैठक में बिना लिखित कारण बताये अनुपस्थित रहे और बैठक की सूचना साधारण रीति अनुसार उसे बराबर भेजी जाती रही हो तो उसका स्थान प्रबन्धकारिणी समिति में स्वतः रिक्त हो जायेगा।

(स) सूचना अवधि:–

बैठक की सूचना कम से कम 7 दिन पूर्व डाक प्रेषण प्रमाणपत्र (अण्डर सर्टिफिकेट आफ पोस्टिंग) अथवा सूचना हस्ताक्षर द्वारा देना आवश्यक होगा।

(द) गणपूर्ति:–

प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक की गणपूर्ति संख्या कुल सदस्यों का 2/3 होगा। गणपूर्ति के अभाव में यदि बैठक स्थगित हो जाय तो अध्यक्ष की अनुमति से आधे घण्टे बाद उपस्थित सदस्यों द्वारा पुनः बैठक की जा सकेगी। स्थगित बैठक के लिए गणपूर्ति बाधक नहीं होगी।

(य) रिक्त स्थानों की पूर्ति:–

धारा 4 में कथित कारणों अथवा लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थिति रहने पर सदस्यता समाप्त की दशा में प्रबन्धकारिणी समिति रिक्त हुए

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म सोसाइटीज तथा चिट्स
गोरखपुर

स्थान की पूर्ति साधारण सभा के उसी श्रेणी के सदस्यों में से किसी को मनोनीत करके पूर्ण कर सकेगी।

(र) कार्यकालः-- प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल पाँच वर्ष होगा।

(ल) प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य एवं अधिकारः--

(1) प्रबन्धकारिणी समिति ऐसे सब कार्य संस्था के लिए करेगी जिन्हें संस्थान अपने स्मृतिपत्र के अनुसार करने के लिए अधिकृत है।

(2) संस्थान के कार्य संचालन हेतु एवं उसके पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों के दायित्व एवं अधिकारों की व्याख्या हेतु नियम, उपनियम बनाना, बदलना एवं हटा लेना।

(3) वैतनिक पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को नियुक्त करना, हटाना, दण्डित करना, पुरस्कार देना, उनकी सेवा और दायित्व के लिए उनसे जमानत लेना जैसा प्रबन्धकारिणी समिति उचित समझे उन शर्तों पर।

(4) प्रबन्धकारिणी समिति को जो अधिकार प्राप्त है उन अधिकारों मेंसे किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को समय-समय पर आवश्यक अधिकारपत्र देना तथा गरिमा के कार्यों को प्रगतिशील बनाने के लिए आवश्यकतानुसार उपसमितियों का गठन करना।

(5) संस्था के संचालन के लिए अच्छी व्यवस्था करना, संस्था के चल व अचल सम्पत्ति की रक्षा करना, उसके हितों की रक्षा करना व हर उद्देश्यों हेतु आवश्यक व समुचित प्रबन्ध करना, प्रबन्ध समिति का कर्तव्य होगा।

(6) प्रबन्धकारिणी समिति को समय-समय पर सदस्यता शुल्क निर्धारित करने का अधिकार होगा।

(7) प्रबन्धकारिणी समिति के चुनाव के एक माह पूर्व प्रबन्धक द्वारा अनुमोदित एवं हस्ताक्षरित होकर प्रस्तुत साधारण सभा के सदस्यों की सूची प्रबन्धकारिणी समिति के समक्ष रखी जायेगी। प्रबन्धकारिणी

सहायक रजिस्ट्रार
सोसाइटीज तथा चिट्स
उ०प्र० गोरखपुर

समिति द्वारा उक्त सूची मूल रूप में या संशोधन करके स्वीकृत की जायेगी। मात्र सदस्यता शुल्क देने से ही कोई व्यक्ति संस्थान का सदस्य नहीं समझा जायेगा जबतक कि प्रबन्धकारिणी समिति का अनुमोदन प्राप्त न हो जावे।

सदस्यों के विषय में प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा। इस निर्णय के विरूद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकेगी जिन सदस्यों की सदस्यता का अनुमोदन प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा नहीं होगा, उनका सदस्यता शुल्क एक माह के अन्दर सदस्यता शुल्क की रसीद के साथ लिखित मांग करने पर वापस कर दिया जायेगा। समय के अन्दर न मांग करनें की दशा में सधन्यवाद संस्थान के लिए वह धनराशि दान समझा जायेगा।

(8) जबतक नई प्रबन्धकारिणी समिति का गठन न हो जाय, तबतक पूर्व प्रबन्धकारिणी समिति कार्य करने के लिए अधिकृत होगी।

(9) उपरोक्त सभी कार्यों के लिए राजकीय अथवा स्वायत्त शासकीय संस्थाओं व अन्य व्यक्तियों से अनुदान व सहायता प्राप्त कराना, भूमि, भवन अथवा दोनों प्राप्त करना अथवा किराये या पट्टे पर लेना जो संस्थान के हित में आवश्यक हो, ऐसे सभी कार्य करना।

<u>प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्यः–</u>

<u>अध्यक्षः–</u> (1) साधारण सभा तथा प्रबन्धकारिणी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करना।

(2) मंत्री/प्रबन्धक एवं पदाधिकारियों के सहयोग से संस्था की गतिविधियों की देख रेख करना।

(3) अध्यक्ष आवश्यक समझें तो प्रबन्धकारिणी समिति 2/3 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एवं लिखित बैठक बुलाने की मांग करने पर प्रबन्धक को बैठक बुलाने के लिए कहेगा।

क्षेत्रीय कार्यालय सहायक निबंधक समितियां उत्तर प्रदेश, गोरखपुर

① ② ③

④ अंजनी कुमार शुक्ल ⑤ विजयलक्ष्मी त्रिपाठी ⑥

⑦ ⑧ दीनबन्धु पाण्डेय ⑨ विवेक नन्द

सहायक रजिस्ट्रार
को सोसाइटीज तथा चिट्स
उत्तर प्रदेश गोरखपुर

उपाध्यक्षः– (1) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अथवा अध्यक्ष द्वारा अधिकृत किये जाने पर उपाध्यक्ष को वे सभी अधिकार एवं कर्तव्य प्राप्त होगें जो अध्यक्ष में निहित हैं।

(2) किसी बैठक में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों के अनुपस्थित रहने पर उपस्थित सदस्य अपनेमेंसे किसी को उस बैठक के लिए अध्यक्ष मनोनीत कर कार्य संचालन करेगें।

प्रबन्धकः–

(1) संस्थान की सब प्रकार की बैठक बुलाना, कार्यवाही करना एंव पारित प्रस्तावें पर कार्यवाही करना।

(2) संगठन करना, सदस्य बनाना, दख रख करना, सस्थान के भिन्न–भिन्न कक्षों को (सेल) को निर्देशन देना, कर्मचारियों को आवश्यक सुझा वगैरह एवं आदेश देना, जिससे संस्थान की व्यवस्था उत्तम एवं सन्तोषजनक रहे।

(3) कुल चन्दा, दान, स्वीकृति धनराशि अनुदान, सदस्यता शुल्क आदि प्राप्त करना। कुल बिलों का भुगतान करना तथा रसीदों एवं सभी प्रकार के कागजातों पर हस्ताक्षर करना।

(4) संस्थान का आय–व्यय रखना और उन कागजातें को ठीक प्रकार से सुरक्षित रखना।

(5) संस्थान सम्बन्धित पत्र व्यवहार करनातथा समिति के लिये वैतनिक, अवैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति, निष्कासन व दण्डित करने का अधिकार होगा।

(6) अध्यक्ष की सलाह से सम्बैधानिक एवं कानूनी विषयों पर कार्य करना।

सहायक रजिस्ट्रार
सोसाइटीज तथा चिटफंड
उ0प्र0 गोरखपुर

(7) संस्थान के हित में जो कार्य हों उसे कर लेना तथा उसकी पुष्टि प्रबन्धकारिणी समिति की आगामी [illegible] लेना।

(8) सम्पूर्ण प्राप्त धनराशि को संस्थान के लिए एकत्रित की गयी हो उसे संस्थान के नाम के बैंक खाते में जमा करना तथा आवश्यकतानुसार बैंक से निकालना।

(9) साधारण सभा या प्रबन्धकारिणी समिति का सदस्य हो जाने के उपरान्त यदि किसी प्रकार का सदस्यता सम्बन्धी विवाद एवं सदस्यों के बीचआपसी असाधारण संघर्ष वैमनस्य तथा मतभेद हो तो ऐसी अवस्था में समिति व उसकी सदस्यता के सम्बन्ध में प्रबन्धक का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।

मंत्री :–

प्रबन्धक की अनुपस्थिति में अथवा प्रबन्धक द्वारा अधिकृत किये जाने पर मंत्री को वे सभी अधिकार एवं कर्तव्य प्राप्त होगें जो प्रबन्धक में निहित हैं।

कोषाध्यक्षः–

संस्थान व समिति की ओर से प्रबन्धक की लिखित अनुमति पर समिति के सम्पूर्ण धन को समिति के बैंक खाते में जमा करना, किन्तु बैंक खाते के संचालन का अधिकार केवल प्रबन्धक का ही होगातथा समिति के सम्पूर्ण आय–व्यय का लेखा–जोखा रखना।

8–संस्थान के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रियाः–

प्रबन्धकारिणी समिति का प्रस्ताव आने पर संस्थान के विधान में परिवर्तन, परिवर्द्धन या व्याख्याओं पर निर्णय करने के लिए नियमानुसार पूर्व सूचना देकर बुलायी गयी साधारण सभा की बैठक का दो तिहाई मत प्राप्त करना आवश्यक होगा जिसके

सहायक निबंधक (1)
सोसाइटीज तथा चिट्टी
उ०प्र० गोरखपुर

लिये साधारण सभा द्वारा 2/3 बहुत से पास होना आवश्यक होगा।

9–संस्थान का कोष (लेखा व्यवस्था):–

संस्थान के प्रबन्धक के नाम खाता खोला जायेगा। जो मान्यता प्राप्त या राष्ट्रीयकृत बैंक, पोस्ट आफिस या अर्द्ध सहकारी बैंक जैसा भी निर्णय बैठक में हो, भेजा जायेगा व उनके हस्ताक्षर से भुगतान लिया जा सकेगा। आय–व्यय का पूर्ण विवरण कोषाध्यक्ष तैयार कर बैठक में या कभी मांगे जाने पर प्रस्तुत करेगा।

10–संस्थान के आय–व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट) :–

प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा नियुक्ति प्राप्त आय–व्यय निरीक्षक द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद सम्पूर्ण आय–व्यय की जांच करायी जायेगी और उसे माह अप्रैल में आयोजित वार्षिक बैठक में प्रस्तुत किया जायगा।

11– संस्थान द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्वः–

प्रबन्धक को यह अधिकार होगा कि संस्थान की ओर से किये जाने वाले मुकदमे या संस्थानपर दाखिल हुए मुकदमे की पैरवी करे अथवा पैरवी करने के लिए किसी व्यक्ति को अधिकृत करे।

12–संस्थान के अभिलेखः–

संस्थान के निर्धारित कार्यालय में सदस्यता रसीद, सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, सूचना रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, आय–व्यय रजिस्टर आदि रहेगें जहाँ पर पदाधिकारी उसका निरीक्षण कर सकते हैं जिनकी अभिरक्षा प्रबन्धक की होगी।

सहायक रजिस्ट्रार
सोसाइटीज तथा चिट्स
गोरखपुर

13–किसी अन्य समिति संस्थानमें मिलाया जानाः–

यदि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड कोई समिति चाहे वह किसी नाम से हो यदि इस संस्थान में मिलने का प्रस्ताव करे तो रजिस्ट्रार की सहमति से उस समिति को संचालक मण्डल की पूर्ण या बहुमत की राय से संस्थानमें मिलाया जा सकेगा और उसका सारा दायित्व लेना, देना संस्थान का होगा, किन्तु इसके सदस्यों मेंसे प्रबन्धकारिणी समिति विचार कर किसी भी सदस्य को संस्थान का सदस्य बनाने से इनकार कर सकती है।

14–विशेष व्यवस्थाः–

प्रबन्धक यदि आवश्यक समझे तो प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक के अतिरिक्त साधारण सभा, संचालक मण्डल की बैठक में किसी विशिष्ट व्यक्ति को जिसे वह उचित समझे बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में किसी विशेष अवसर पर आमंत्रित कर सकता है और यह साधारण सभा और संचालक मण्डल दोनों की पूर्वानुमोदित स्वीकृति समझी जायेगी।

15–विशेष आयोजनः–

प्रबन्धक/मंत्री, अध्यक्ष की सहमति से यदि कोई विशेष अधिवेशन संस्थान के उद्देश्यों के प्रचारार्थ या लाभार्थ बुलाता है याअध्यक्ष स्वयं ही ऐसे प्रयोजन के लिए किसी या किन्हीं विशेष व्यक्तियों को बुलाता है और उनसे ऐसे अधिवेशन की अध्यक्षता करता है तो ऐसा कोई काम नियमावली के प्रतिबन्ध में न होगा। ऐसा व्यक्ति का संस्थान का सदस्य होना आवश्यक नहीं होगा।

संस्थान के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाहीः–

संस्थान के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही, सोसायटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी। यानी विघटन साधारण सभा के कुल उपस्थित सदस्यों के

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म, सोसाइटीज तथा चिट्स
गोरखपुर

3/5 बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से होगा। विघटन के बाद जो चल या अचल सम्पत्ति बचेगी वह संस्थानके ऊपर ऋण या अन्य देय जो होगा ,उसके चुकाने में खर्च की जायेगी और शेष सम्पत्ति सदस्यों में बांटी जाकर समान उद्देश्यों यानी किसी दूसरी संस्था को दे दी जायेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि यह नियमावली न्यू इण्डियन पब्लिक एजूकेशनल सोसायटी ग्राम– गुलौरी बुजुर्ग (नचना), पो०–हरिवंशपुर, थाना–दुबौलिया, तहसील–हरैया, जिला–बस्ती संस्थान की नियमावली की सत्य प्रतिलिपि है।

① [signature]
② [signature]
③ [signature]
④ अंजनी कुमार दुबे
⑤ विजय बहादुर त्रिपाठी
⑥ [signature]
⑦ [signature]
⑧ दीनबन्धु मौर्य
⑨ शिवकानन्द

[signature] 24/9/11

सत्य – प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म सोसाइटीज तथा चिट्स
उ० प्र० गोरखपुर
19/11

प्रतिलिपि कर्ता
मिलान कर्ता
19/11